



कामधेनु इस्पात संदेश

आई एस ओ 9001-2000 सम्मानित कंपनी कामधेनु इस्पात लिमिटेड की गृह-पत्रिका, वर्ष-11, अंक-3, मई 2010

किसी भी तरह की व्यापारिक जानकारी हेतु टोल फ्री कामधेनु हेल्प लाईन - 1800 1800 545

कामधेनु इस्पात लिमिटेड - नवीनता व गुणवत्ता का वादा, हमेशा


कामधेनु का गुणवत्ता से करीबी संबंध है जो कंपनी को अपने ग्राहकों के साथ एक रिश्ते में बांधता है। नई पीढ़ी के द्वारा महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही कंपनी के स्थापित मूल्यों को युवाओं का नवीन उत्साह मिल रहा है। कंपनी के डायरेक्टर श्री सचिन अग्रवाल कामधेनु इस्पात लिमिटेड के भविष्य का एक चेहरा हैं। यहां वे कंपनी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं।

कामधेनु ग्रुप की प्रमुख कंपनी कामधेनु इस्पात लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता की स्टील बनाने वाली देश

की अग्रणी कंपनियों में से एक है। कंपनी के गौरवमयी इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए श्री अग्रवाल कहते हैं, "यह कामधेनु इस्पात का कभी गुणवत्ता से समझौता न करने का रवैया है जिसने कामधेनु को एबीएन क्वालिटी इवल्यूएशन सिस्टम यूएसए. द्वारा प्रतिष्ठित 9001:2000 प्रमाणन तथा एन.क्यु.ए., क्यु.एस.आर.एण्ड डब कांसिल ऑफ क्वालिटी द्वारा आईएसओ 9002 प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम कंपनी बनाया है।"

अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत कामधेनु अपने ग्राहकों के लिए लाई है अत्याधुनिक तकनीक द्वारा विकसित उच्चकोटि के 500D टी.एम.टी. जो सल्फर (S) व फास्फॉरस (P) नियंत्रित होते हैं। टी.एम.टी. में विभिन्न मात्रा में मौजूद सल्फर व फास्फॉरस स्टील की कुछ महत्वपूर्ण प्रकृतियों जैसे लोच, भार सहने की क्षमता और जंग रोधी क्षमता इत्यादि पर दुष्प्रभाव डालती है। उच्चकोटि व नियंत्रित स्टील निर्माण शैली का प्रयोग करके इन अशुद्धियों को कम किया जा सकता है।

अपनी नये युग की निर्माण सुविधाओं में निरन्तर शोध के द्वारा कामधेनु ने स्टील में सल्फर (S) व फास्फॉरस (P) की मात्रा को अत्याधिक कम कर 0.075% के न्यूनतम स्तर पर ले आई है। निर्माण के प्रत्येक चरण में कठिन नियंत्रण व



उच्चतम मानकों का प्रयोग करते हुए कामधेनु ने एक बार फिर से देश की अग्रणी स्टील कंपनी होने के अपने दावे को पुक्ता किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी इस नवीन उपलब्धि को देश भर के ग्राहकों का पूर्ण विश्वास प्राप्त होगा व कंपनी सफलता की नई ऊँचाईयों को छूती रहेगी।

भविष्य की योजनाओं व जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देते हुए वे कहते हैं, "हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमें न केवल उच्चतम गुणवत्ता की परम्परा को बरकरार रखना है बल्कि उसे आगे भी लेकर जाना है। हम वादा करते हैं कि कामधेनु अपने अति उत्कृष्ट उत्पादों के साथ ग्राहकों की लगातार सेवा करती रहेगी।"

जमालपुर (मुँगेर) में मेसन मीट का आयोजन



कामधेनु इस्पात लिमिटेड की कोशिश सदैव अधिकाधिक लोगों को कंपनी के साथ जोड़ने की रहती है। ऐसा ही एक प्रयास विगत दिनों बिहार के जिला मुँगेर के जमालपुर शहर में देखने को मिला। यहाँ कंपनी ने अपने सहयोगी मैसर्स जनता ब्रदर्स (जमालपुर) के श्री संदीप अग्रवाल के सहयोग से मेसन मीट का आयोजन किया। इस मीटिंग के आयोजन में कामधेनु इस्पात के श्री सागर प्रताप सिंह तथा श्री विपिन सिंह का विशेष सहयोग रहा।

इस सभा में यहाँ पर आये हुये समस्त

राजमिस्त्री भाईयों को कंपनी के उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और साथ ही उनके कामों भी को सराहा गया। तत्पश्चात् एक वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें ढेरों सवाल जबाब किये गये। इसमें विजेताओं को बैग, हाथ घड़ी तथा गिफ्ट चैक जैसे भांति-भांति के पुरस्कार भी प्रदान किये गये व सभी राजमिस्त्रियों तथा डीलरों को उपहार स्वरूप बैग प्रदान किये गये। इस समारोह में उन्हें कामधेनु परिवार के बारे में जानकारी देते हुए इस विशालकाय परिवार से जुड़ने के फायदे भी बताये गये। इसके बाद सभी ने कामधेनु परिवार से जुड़ने की इच्छा जताई और सब इस परिवार के सदस्य बन गये हैं।

इस

जस्टिस एस.एच. कपाड़िया बने भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश



व वह 29 सितम्बर 2012 तक इस पद पर बने रहेंगे।

62 वर्षीय जस्टिस कपाड़िया भारत के स्वाधीन होने के पश्चात जन्मे पहले सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। माननीय श्री कपाड़िया ने वर्ष 1974 में बोम्बे हाईकोर्ट में वकालत के साथ विधि



न्यायाधीश बनाया गया। अक्टूबर 1999 में जस्टिस कपाड़िया को विशेष अदालत का जज नियुक्त किया गया जहाँ आपने कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की। इसके पश्चात इन्हें अगस्त 2003 में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर आसीन किया गया जहाँ से इनकी पदोन्नति इसी वर्ष दिसम्बर में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हुई।

अपने करियर का आगाज़ एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में करने वाले जस्टिस कपाड़िया एक निम्नवर्गीय परिवार से आए और साबित किया कि अगर आदमी के पास मेहनत और लगन है तो दुनिया की कोई मंजिल नामुकिन नहीं होती। जस्टिस कपाड़िया की अर्थशास्त्र और वाणिज्य जैसे विषयों पर खास पकड़ है जिसका प्रयोग वे मामलों की सुनवाई में अक्सर किया करते हैं। कामधेनु इस्पात लिमिटेड जस्टिस एस.एच. कपाड़िया को सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं देती है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सभसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस श्री सरोश होमी कपाड़िया ने 12 मई को भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। जस्टिस एस.एच. कपाड़िया को पद व गोपनीयता की शपथ भारत की पहली महिला राष्ट्रपति महामहिम श्रीमति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा दिलाई गई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह उनके कैबिनेट सदस्य व इस पद को त्यागने वाले पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन भी शरीक हुए। जस्टिस कपाड़िया का कार्यकाल लगभग दो वर्षों तक रहेगा

क्षेत्र में अपने जीवन की शुरुआत की थी। अक्टूबर 1991 में पहली बार उन्हें बोम्बे हाईकोर्ट में सहायक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया तथा मार्च 1993 में उन्हें बोम्बे हाईकोर्ट में स्थायी

इस

पटना में कामधेनु इस्पात की पाँचवीं सालाना डीलर्स मीट का आयोजन

की योजनाओं से अवगत कराने के लिए कंपनी ने पटना में अपनी पाँचवीं वार्षिक डीलर्स मीटिंग का आयोजन किया। कामधेनु इस्पात लिमिटेड के सीनियर जी.एम. श्री एस.बी. शर्मा व जी.एम. श्री वाई.आर. पंडिता ने इस अवसर पर कंपनी का प्रतिनिधित्व किया।

सभा को सम्बोधित करते हुए

स्टील्स अपनी अतिउत्कृष्ट उत्पादन सुविधा में विश्वस्तरीय गुणवत्ता की टीएमटी स्टील बनाने में सक्षम है। इस गठबंधन से हम ग्राहकों को भूकम्परोधी टीएमटी उपलब्ध करा सकेंगे।"

कंपनी के डीलर्स को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने आगे कहा, "हमारे श्रेष्ठ उत्पादों का लोहा तो पूरा देश मानता है मगर आप लोगों के सहयोग के बिना कामधेनु का इस विस्तार के साथ लोगों तक पहुँचना अत्यन्त कठिन होता। आपके इस सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं।"

सभा में मौजूद दादीजी स्टील्स लिमिटेड के डायरेक्टर्स श्री आर.सी. गुप्ता व श्री विनय सिंह ने कामधेनु की सराहना करते हुए कहा, "कामधेनु इस्पात लिमिटेड ने बिहार सहित सम्पूर्ण भारत के निर्माण क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। कामधेनु इस्पात के साथ जुड़ना हमारे लिए हर्ष का विषय है।"

कामधेनु इस्पात लिमिटेड ने देश भर के स्टील उद्योग में अपने को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 2005 में बिहार में टीएमटी स्टील की उत्पादन शुरू किया था।

इस



दिनोंदिन विस्तार के नए आयामों को छूती कामधेनु इस्पात की वर्तमान में सम्पूर्ण देश में 50 से अधिक उत्पादन इकाईयाँ विद्यमान हैं। इस समृद्धि को नई ऊँचाईयों तक ले जाने व अपने सहयोगियों को कंपनी

श्री एस.बी. शर्मा ने भूकम्परोधी इमारतों के निर्माण की आवश्यकता जताते हुए कहा, "इस क्षेत्र के ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने पटना की दादीजी स्टील्स लिमिटेड से गठजोड़ किया है। दादीजी

गुरदासपुर में हुआ राजमिस्त्रियों का सम्मेलन

कामधेनु इस्पात लिमिटेड की सदैव हर स्तर के लोगों का राज्य है। अपने सफलता मंत्र को दोहराते हुए कंपनी की ओर से राजमिस्त्रियों एवं लौहारों के एक सम्मेलन का आयोजन 27 फरवरी को पंजाब के गुरदासपुर जिले में किया गया। समारोह के आयोजन में मैसर्स जे.एन. डोगरा का विशेष सहयोग रहा। इस कार्यक्रम में तकरीबन 150 राजमिस्त्रियों ने भाग लिया। कामधेनु इस्पात लिमिटेड की ओर से कंपनी के महा-प्रबंधक (मार्केटिंग) श्री वी.के. गहलौत, सह-प्रबंधक श्री रजनीश कुमार, क्वालिटि इंचार्ज श्री मुकेश कुमार व कंपनी के डीलर मैसर्स जे.एन. डोगरा की ओर से श्री जगजीत डोगरा एवं श्री अमित डोगरा इस समारोह में उपस्थित रहे। श्री गहलौत ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा,

"कामधेनु इस्पात लिमिटेड को सदैव इसके उत्पादों की विशिष्ट



गुणवत्ता के लिए जाना जाता रहा है। हमारे राजमिस्त्री एवं लौहार भाईयों का हमारी गुणवत्ता के प्रति अटूट विश्वास हमारे लिए अतिमहवपूर्ण है।"

समारोह में ट्रांसपोर्ट विभाग के निदेशक एवं भाजपा नेता श्री अशोक शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कंपनी की ओर से आए प्रतिनिधियों ने राजमिस्त्रियों एवं लौहारों को कामधेनु स्टील की विशिष्ट गुणवत्ता के विषय में अवगत कराया।

इस

कानूनी अनुभाग

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का नवीनतम आदेश

श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल और उनकी कंपनियों मै. कामधेनु इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एवं मै. कामधेनु सीमेंट लिमिटेड के विरुद्ध जारी कानूनी कार्यालयी में प्राथमिक स्तर पर मिली महत्वपूर्ण विजय के अवसर पर कामधेनु इस्पात लिमिटेड अपने सभी शेयरधारकों, फ्रेंचाइजियों, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और शुभचिंतकों को बधाई देती है। आपको यह सूचित करते हुए हमें आति प्रसन्नता होती है माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 19.05.2010 को जो आदेश/निर्णय जारी किया गया है वह कानून के विशेषज्ञों की राय में अधिकाधिक कामधेनु इस्पात लिमिटेड के पक्ष में है।

स्टील बार/सरिये के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने मै. कामधेनु इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल) के द्वारा स्टील बार, स्टेनलैस स्टील पाइप्स इत्यादि के निर्माण, विक्रय, मार्केटिंग व विज्ञापन में कामधेनु के ट्रेड मार्क/लोगो अथवा कामधेनु के जैसे दिखने वाले अन्य किसी ट्रेड मार्क/शब्द/चिन्ह/नाम के प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रेड मार्क/ट्रेड नाम/कॉर्पोरेट नाम "कामधेनु" को मान्यता देते हुए माननीय उच्च न्यायालय का मानना था कि मै. कामधेनु इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल) अपने कॉर्पोरेट नाम "कामधेनु इण्डस्ट्रीज लिमिटेड" व ऐसा कोई अन्य कॉर्पोरेट नाम जिसके चिन्ह में "कामधेनु" शब्द का प्रयोग इसके स्टेनलैस स्टील व सरिये के किसी भी व्यवसाय के संबंध में हो, को इस्तेमाल करने का अधिकारी नहीं है तथा मै. कामधेनु इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल) को 31.03.2011 तक

इस संबंध में नया नाम चुनने/प्रयोग में लाने का वक्त दिया है। मिली कानूनी राय के अनुसार तत्कालिक असर से



ही मै. कामधेनु इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल) हमारे कॉर्पोरेट नाम "कामधेनु" का प्रयोग अपनी कंपनी के नाम में भी नहीं कर सकेगी। यह किसी भी प्रकार से, यहां तक कि अपनी कंपनी मै. कामधेनु इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ प्राइम गोल्ड चिन्ह लगा कर भी इस नाम का प्रयोग नहीं कर सकती है।

सीमेंट व इससे संबंधित उत्पादों के सन्दर्भ में भी माननीय उच्च न्यायालय ने मै. कामधेनु सीमेंट लिमिटेड (श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल) के द्वारा लोगों में चक्र, पंच लाईन "सम्पूर्ण सुरक्षा की गारंटी", रंग व्यवस्था, रंगरूप जो मै. कामधेनु इस्पात लिमिटेड ब्रांड के उत्पादों से मिलता-जुलता हो, उसके प्रयोग पर रोक लगा दी है तथा साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने मै. कामधेनु इस्पात लिमिटेड के द्वारा सीमेंट के संबंध में ट्रेड मार्क/कॉर्पोरेट नाम में "कामधेनु" शब्द के प्रयोग पर रोक लगाते हुए मै. कामधेनु सीमेंट लिमिटेड (श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल) को सशर्त "कामधेनु"

शब्द की लोकप्रिय चक्र वाले लोगों, पंच लाईन "सम्पूर्ण सुरक्षा की गारंटी", रंग व्यवस्था, रंगरूप के इस्तेमाल किए बिना केवल सीमेंट व इससे संबंधित उत्पादों के सन्दर्भ में सीमित प्रयोग की अनुमति दी है (वह भी जब तक मामला सुनवाई के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित है) और यह भी केवल मै. कामधेनु सीमेंट लिमिटेड (श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल) के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास रु. 1.40 करोड़ की राशि जमा कराने पर।

जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम वर्तमान में "कामधेनु सुपर सीमेंट" का व्यापार करते हैं "कामधेनु सीमेंट" का नहीं इसलिए हम इस मुद्दे को स्पष्ट करने व अपने सभी शेयरधारकों, फ्रेंचाइजियों, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और शुभचिंतकों के संदेह को दूर करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की डिविज़न बैच में जाने का इरादा रखते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय ने श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल को अपने पूर्व के आदेश की अवमानना का दोषी ठहराते हुए उन पर रु. 2 लाख का जुर्माना लगाते हुए श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल को भविष्य में न्यायालय के आदेशों/निर्देशों की अवमानना से दूर रहने की अन्तिम चेतावनी भी दी है।

उपरोक्त पारित आदेश का एक चुनिंदा अंश है और इसके लिए कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि कोई व्यक्ति आदेश का सम्पूर्ण प्रति या अन्य किसी प्रकार का स्पष्टीकरण चाहता है तो वह हमसे सम्पर्क करे।

श्री कृष्ण जिंदल

श्री जसपाल गुप्ता

मैसर्स गुप्ता आयरन स्टोर

जी.टी. रोड, निकट जिला परिषद,

भट्टिडा-151001

फोन- 0164-2215057, 2210459,

9417075100, 9855015057

श्री जोगिंदर पाल

श्री सुखविंदर सोढ़ी

मैसर्स बुलोवल सीमेंट कॉर्पोरेशन

गाँव- दालमवाल, झाकघर- बुलोवल,

जिला- होशियारपुर

फोन- 01882-265249, 9714284502

श्री बबू पाण्डेय

मैसर्स कृषि उपकरण भण्डार

कोराह सराय (बक्सर)

बिहार

मो. - 9334446031